[2018] 2 एससीआर 1099

बंगाल केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स संगठन

बनाम

कल्याण चौधरी
(सिविल अपील सं. 684 वर्ष 2018)

02 फरवरी, 2018

[आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, न्यायमूर्तिगण]

कंपनी अधिनियम, 2013 - धारा 421(3) - राष्ट्रीय कंपनी विधिक अपीलीय न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 421 (3) को निर्धारित करने के बाद अपील को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया, क्योंकि अपील 45 दिनों की सीमा की अवधि समाप्त होने के 9 दिन बाद योजित की गई थी और 45 दिनों की एक और अवधि भी समाप्त हो गई थी - अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 433 के अंतर्गत, परिसीमन अधिनियम के प्रावधान, जहां तक हो सके, अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील पर लागू होंगे और इसलिए, परिसीमन अधिनियम की धारा 5 90 दिनों की अवधि से अधिक देरी को क्षमा करने के लिए लागू होगी - माना गया: अपील के अंतर्गत निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है - परिसीमन अधिनियम की धारा 5 के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 421 (3) की अस्पष्ट भाषा को देखते हुए लागू करना संभव नहीं है - धारा 421(3) को सरसरी तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके परंतुक में परिसीमन अधिनियम में प्रदान की गई अवधि से भिन्न परिसीमन की अवधि प्रदान की गई है, और यह भी 45 दिनों से अधिक की अवधि प्रदान नहीं की गई है यदि यह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को उस अवधि के भीतर अपील योजित करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था - धारा 433 अपीलकर्ता की सहायता के लिए नहीं आ सकती है क्योंकि परिसीमन अधिनियम के प्रावधान केवल "जहां तक लागू होते हैं" जैसा भी हो सकता है - प्रस्तुत मामले में, जहां धारा 421 (3) परंतुक में निहित एक विशेष प्रावधान है, परिसीमन अधिनियम की धारा 5 लागू नहीं हो सकती है - परिसीमन अधिनियम, 1963 - धारा 5

अपील निरस्त करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 421 (3) को सरसरी तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके परंतुक में परिसीमन अधिनियम में प्रदान की गई अवधि से अलग सीमा की अवधि प्रदान की गई है, और 45 दिनों से अधिक की अवधि का प्रावधान नहीं है, यदि यह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को उस अवधि के भीतर अपील योजित करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था। धारा 433 स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता की सहायता के लिए नहीं आ सकती है क्योंकि परिसीमन अधिनियम के प्रावधान केवल "जहां तक हो सकता है" लागू होते हैं। वर्तमान जैसे मामले में, जहां धारा 421 (3) परंतुक में निहित एक विशेष प्रावधान है, परिसीमन अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट रूप से लागू नहीं हो सकती है। [पैरा 4]

2. मामले का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 45 दिन सीमा की अवधि है, और 45 दिनों से अधिक की अवधि केवल तभी प्रदान की जाती है जब विस्तारित अवधि के भीतर अपील योजित करने के लिए पर्याप्त कारण दिया जाता है। यह एक कठोर प्रावधान है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 433 के अंतर्गत, परिसीमन अधिनियम, 1963

के प्रावधान, जहां तक हो सके, अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील पर लागू होंगे और इसलिए, धारा 5 90 दिनों की अवधि से अधिक देरी को क्षमा करने के लिए लागू होगी। यदि इस तरह के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि 45 दिनों की आगे की अवधि बीत जाने के बावजूद, अपीलीय न्यायाधिकरण, यदि तथ्यों की आवश्यकता है, तो देरी को क्षमा कर सकता है। यह 45 दिनों की दूसरी समय सीमा प्रदान करने के लिए होगा, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, प्रकृति में कठोर है। [पैरा 5]

छत्तीसगढ़ सेबी बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, (**2010) 5 एससीसी 23: [2010] 4 एससीआर 680** पर भरोसा किया गया।

मंगू राम बनाम दिल्ली नगर निगम **(1976) 1 एससीसी 392: [1976] 2 एससीआर 260 - प्रतिष्ठित।**

गुडा विजयलक्ष्मी बनाम गुडा रामचंद्र शेखर शास्त्री **(1981) 2 एससीसी 646: [1981] 3 एससीआर 223;**

डॉ. प्रताप सिंह एवं एक अन्य व्यक्ति बनाम प्रवर्तन निदेशक, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और अन्य **(1985) 3 एससीसी 72: [1985] 3 एससीआर 969 - लागू नहीं।**

भारत संघ बनाम पॉपुलर निर्माण कंपनी **(2001) 8 एससीसी 470: [2001] 3 अनुपूरक एससीआर 619;** *ओएनजीसी बनाम गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड* (**2017) 5 एससीसी 42** - संदर्भित।

<u>वाद विधि संदर्भ</u>

[2001] 3 अनुपूरक एससीआर 619	**संदर्भित**	**पैरा 2**
[2010] 4 एससीआर 680	**निर्भर**	**पैरा 6**
(2017) 5 एससीसी 42	**संदर्भित**	**पैरा 6**
[1981] 3 एससीआर 223	**लागू नहीं**	**पैरा 7**
[1985] 3एससीआर 969	**लागू नहीं**	**पैरा 8**
[1976] 2 एससीआर 260	**प्रतिष्ठित**	**पैरा 10**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 684 वर्ष 2018

कंपनी अपील (एटी) संख्या 76 वर्ष 2017 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी), नई दिल्ली के दिनांक 31.07.2017 के निर्णय और आदेश से।

जयंत मेहता, सुश्री प्रतीक्षा शर्मा, शिवंकर बेहर, अंकित आचार्य, राहुल कुकरेजा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

शंकर एन. सिन्हा, सतीश कुमार, अधिवक्तागण प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन द्वारा सुनाया गया था

1. वर्तमान अपील राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 31.07.2017 के एक आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण ने कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 421 (3) (संक्षेप में 'अधिनियम') को स्थापित करने के बाद अपील को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया है, क्योंकि अपील 45 दिनों की सीमा की अवधि समाप्त होने के 9 दिन बाद योजित की गई है और आगे 45 दिनों की अवधि भी समाप्त हो गई है।

2. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जयंत मेहता ने हमारे सामने इस मामले पर दृढ़तापूर्वक बहस की है। वह बताते हैं कि अधिनियम की धारा 421 (3) में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) परंतुक की भाषा शामिल नहीं है, जिसमें "लेकिन उसके बाद नहीं" शब्द शामिल हैं, जिसे ***भारत संघ*** बनाम ***पॉपुलर निर्माण कंपनी*** (2001) 8 एससीसी 470 पर विचार किया गया। वह आगे बताते हैं कि, किसी भी मामले में, अधिनियम की धारा 433 के अंतर्गत, परिसीमन अधिनियम, 1963 के प्रावधान, जहां तक हो सके, अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील पर लागू होंगे और इसलिए, धारा 5 90 दिनों की अवधि से अधिक देरी को क्षमा करने के लिए लागू होगी। उन्होंने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए अपनी बात पर बल दिया है।

3. इस न्यायालय के निर्णयों पर आने से पहले, अधिनियम की धारा 421 (3) और धारा 433 को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। ये प्रावधान इस प्रकार हैं:

"421. न्यायाधिकरण के आदेशों से अपील: -

**** ****

> (3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तिथि से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर योजित की जाएगी जिस दिन अधिकरण के आदेश की एक प्रति पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है और वह ऐसे रूप में होगी, और उसके साथ ऐसी फीस भी होगी, जो विहित की जाए: बशर्ते कि अपीलीय अधिकरण उपर्युक्त तिथि से पैंतालीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकेगा, लेकिन पैंतालीस दिनों से अधिक की अवधि के भीतर, यदि यह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को उस अवधि के भीतर अपील योजित करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था। 433. परिसीमन अधिनियम, 1963 के उपबंध, जहां तक हो सके, अधिकरण या अपीलीय अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों या अपीलों पर, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।"

4. धारा 421 (3) को सरसरी तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि परंतुक परिसीमन अधिनियम में प्रदान की गई सीमा से अलग सीमा की अवधि प्रदान करता है, और 45 दिनों से अधिक की अवधि प्रदान नहीं करता है, यदि यह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को उस अवधि के भीतर अपील योजित करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था। धारा 433 स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता की सहायता के लिए नहीं आ सकती है क्योंकि परिसीमन अधिनियम के प्रावधान केवल "जहां तक हो सकता है" लागू होते हैं। वर्तमान जैसे मामले में, जहां धारा 421 (3) परंतुक में निहित एक विशेष प्रावधान है, परिसीमन अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट रूप से लागू नहीं हो सकती है।

5. मामले का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 45 दिन सीमा की अवधि है, और 45 दिनों से अधिक की अवधि केवल तभी प्रदान की जाती है जब विस्तारित अवधि के भीतर अपील योजित करने के लिए पर्याप्त कारण दिया जाता है। हमारे अनुसार, यह एक कठोर प्रावधान है, जो अन्यथा पूरी तरह से अप्रभावी हो जाएगा, यदि हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को स्वीकार करते हैं। यदि हम इस तरह के तर्क को स्वीकार करते हैं, तो

इसका तात्पर्य यह होगा कि 45 दिनों की आगे की अवधि बीत जाने के बावजूद, अपीलीय न्यायाधिकरण, यदि तथ्यों की आवश्यकता है, तो देरी को क्षमा कर सकता है। यह 45 दिनों की दूसरी समय सीमा प्रदान करने के लिए होगा, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, प्रकृति में कठोर है।

6. ***छत्तीसगढ़ सेबी*** बनाम ***केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग,*** 2010 (5) एससीसी 23 में इस न्यायालय के निर्णय से हम इस निष्कर्ष पर मजबूत हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 की भाषा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 421 (3) में निहित भाषा के समान है, उपरोक्त निर्णय में विचार के लिए आई। इस न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा उठा वह यह था कि क्या परिसीमन अधिनियम की धारा 5 को पीड़ित व्यक्ति को 60 दिनों से परे अपील योजित करने की अनुमति देने के लिए लागू किया जा सकता है और 60 दिनों की आगे की छूट अवधि भी दी जा सकती है। इस न्यायालय ने माना कि धारा 5 विद्युत अधिनियम की धारा 125 पर निम्नलिखित शब्दों में लागू नहीं हो सकती है:

> "25. धारा 125 में कहा गया है कि न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय या आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश की सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर इस न्यायालय में अपील योजित कर सकता है। धारा 125 के परंतुक में इस न्यायालय को 60 दिनों की आगे की अवधि के भीतर योजित अपील पर विचार करने का अधिकार दिया गया है यदि वह संतुष्ट है कि 60 दिनों की प्रारंभिक अवधि के भीतर अपील योजित नहीं करने का पर्याप्त कारण था। इससे पता चलता है कि धारा 111 (2) और 125 के अंतर्गत अपील योजित करने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि वाद योजित करने के लिए परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि से काफी भिन्न है। धारा 125 के परंतुक में "60 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर" अभिव्यक्ति का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि अपील योजित करने की बाहरी सीमा 120 दिन है। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत यह न्यायालय 120 दिनों से अधिक समय के बाद न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश के खिलाफ योजित अपील पर विचार कर सकता है।"

उपरोक्त निर्णय को ***ओएनजीसी*** बनाम ***गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड,*** 2017 (5) एससीसी 42 में पैरा 5 में दोहराया गया और पालन किया गया।

7. अब अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों से निपटना बाकी है। पहला है ***गुडा विजयलक्ष्मी*** बनाम ***गुडा रामचंद्र शेखर शास्त्री,*** (1981) 2 एससीसी 646 में निर्णय। उस मामले में, इस न्यायालय में धारा 25, सीपीसी, 1908 के अंतर्गत एक स्थानांतरण याचिका योजित की गई थी। एक प्रारंभिक आपत्ति यह कहते हुए ली गई थी कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 21 और 21 अ को दृष्टिगत रखते हुए, धारा 25 लागू नहीं होगी। इसे इस न्यायालय ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि धारा 21 प्रक्रियात्मक प्रावधानों के अलावा संहिता के मूल प्रावधानों पर लागू नहीं होगी। इसी तरह, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 21 अ केवल "कुछ मामलों में" स्थानांतरण से संबंधित है। ऐसा होने के कारण, इस न्यायालय को किसी भी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय या एक राज्य के एक सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य में दूसरे सिविल न्यायालय में स्थानांतरित करने की व्यापक और पूर्ण शक्ति को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21 और 21 अ द्वारा लागू नहीं किया गया था। हम यह देखने

में विफल हैं कि यह निर्णय, किसी भी तरह से, अपीलकर्ता की ओर से प्रचारित किए जाने वाले प्रस्ताव को कैसे आगे बढ़ाता है, जो यह है कि परिसीमन अधिनियम की धारा 5 45 दिनों की दूसरी अवधि के बाद भी लागू रहेगी। इसलिए, यह निर्णय इस मामले को आगे नहीं ले जाता है।

8. ***डॉ. प्रताप सिंह और अन्य*** बनाम ***प्रवर्तन निदेशक, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और अन्य,*** (1985) 3 एससीसी 72 मामले पर भरोसा रखना गलत है। इस मामले में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 37 शामिल थी। धारा 37 (2) में प्रावधान है कि तलाशी से संबंधित संहिता के प्रावधान, जहां तक हो सके, धारा 37 (1) के अंतर्गत निर्देशित खोजों पर लागू होंगे। इस न्यायालय ने माना कि अभिव्यक्ति "जहां तक हो सकता है" का अर्थ सदैव यह लगाया गया है कि उन प्रावधानों का सामान्यतया यथासंभव पालन किया जा सकता है। उस मामले के तथ्य परिदृश्य में, यह माना गया था कि 'जहां तक हो सकता है' अभिव्यक्ति को पूर्ण अर्थ देने के लिए, धारा 37 की उप-धारा (2) का अर्थ यह निकाला जाना चाहिए कि मोटे तौर पर धारा 165 में अधिनियमित खोज से संबंधित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

9. यह मामला फिर से मुद्दे को आगे नहीं ले जाता है। वास्तव में, जहां तक इस मामले का संबंध है, निर्णय का अनुपात यह है कि अभिव्यक्ति "जहां तक हो सकती है" का अर्थ केवल संभव सीमा तक है। यदि संभव नहीं है, तो स्पष्ट है कि परिसीमन अधिनियम लागू नहीं होगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि परिसीमन अधिनियम की धारा 5 के लिए धारा 421 (3) की कठोर भाषा को देखते हुए लागू करना संभव नहीं है।

10. तीसरा निर्णय ***मंगू राम*** बनाम ***दिल्ली नगर निगम,*** (1976) 1 एससीसी 392 है। इस निर्णय में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 417 ने बरी करने के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान की। धारा 417 (4) के अंतर्गत विशेष अनुमति के लिए आवेदन बरी करने के आदेश की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति अवधि से पहले किया जाना चाहिए। परिसीमन अधिनियम की धारा 29 (2) को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 417 (4) में निहित अनिवार्य और अस्पष्ट भाषा के बावजूद ऐसे मामले में परिसीमन की धारा 5 को निहित रूप से बाहर नहीं रखा जाएगा। यह न्यायालय ने माना कि सीमा की सभी अवधियों को इस तरह की अनिवार्य और अस्पष्ट भाषा में डाला जाता है और इसलिए, धारा 5 को निहित रूप से बाहर नहीं कहा जा सकता है।

11. यह मामला फिर से पूरी तरह से अलग है। यह केवल सीमा की अवधि पर लागू होता है जिसके बाद कुछ भी नहीं कहा जाता है कि क्या ऐसी अवधि से परे देरी को क्षमा किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, धारा 417 (3) में केवल 45 दिनों की प्रारंभिक अवधि शामिल नहीं है, जिस स्थिति में उपरोक्त निर्णय लागू होगा। धारा 417 (3) में कहा गया है कि 45 दिनों की एक और अवधि, विधायिका द्वारा दी गई अनुग्रह अवधि है जिसे पार नहीं किया जा सकता है, अकेले लागू होगी, बशर्ते कि उपरोक्त अनुग्रह अवधि के भीतर पर्याप्त कारण दिया गया हो। जैसा कि हमने ऊपर कहा है, यह दूसरी अवधि है, जो विशेष संविधि में परिसीमन अधिनियम की धारा 5 का एक विशेष अंतर्निमत प्रकार है, जिसमें कहा गया है कि 45 दिनों की दूसरी अवधि के बाद, देरी की कोई और क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। इस आधार पर, उपरोक्त निर्णय भी विशिष्ट है।

12. एक और बात है - और वह यह है कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मध्यस्थता अधिनियम में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति के बीच अंतर को ***पॉपुलर निर्माण*** (उपरोक्त) द्वारा माना जाता है और धारा 421 (3) में परंतुक में इसकी अनुपस्थिति को इंगित किया है। ऊपर दिए गए कारणों के लिए, हमारा विचार है कि इससे धारा 421 (3) के परंतुक

की भाषा को देखते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसमें अनिवार्य या अस्पष्ट नकारात्मक भाषा शामिल है और दूसरी अवधि 45 दिनों से अधिक नहीं है, जिसका प्रभाव मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) परंतुक में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "लेकिन उसके बाद नहीं" के समान होगा।

13. इसलिए, हम अपील के अंतर्गत निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। अपील निरस्त की जाती है।

अपील निरस्त।

अनुवादकर्ता
मणि यज्ञेश त्रिपाठी
अधिवक्ता,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय